संख्या–432/29–6–2007–86सा0/2006

प्रेषक,

जवाहर लाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन,
लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 08 फरवरी, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. प्रत्येक माह मध्यान्ह् भोजन योजना में खाद्यान्न उठान करने से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खाद्य विभाग/आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी सैम्पल आहरित करायेंगे। ऐसे सैम्पल जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उठान एजेन्सी तथा प्रत्येक ब्लॉक गोदाम पर रखे जायेंगे।
2. उठान एजेन्सी (जिला खाद्य विपणन अधिकारी अथवा जिला प्रबन्धक, आवश्यक वस्तु निगम जैसी भी स्थिति हो) माह की उठाने पूरी होते ही विकासखण्डवार भेजी गई मात्रा की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 25 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।
3. ब्लॉक गोदाम से कोटेदार को मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उठाये गये खाद्यान्न की कोटेदारवार सूचना माह की 01 तारीख तक संकलित करके रख ली जाय, जिससे संबंधित विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक गोदाम प्रभारी से प्राप्त कर लेंगे।
4. कोटेदार के यहॉ 01 से 04 तारीख तक खाद्यान्न के सत्यापन की जो व्यवस्था है उसमें मध्यान्ह भोजन योजना के खाद्यान्न का भी सत्यापन कराया जाय और इस दृष्टि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी माह की 01 से 04 तारीख तक भौतिक सत्यापन करेंगे।
5. मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत भारत सरकार तीन माह पहले तक खाद्यान्न लेने के लिए सहमत हैं। एफ0सी0आई0 से परामर्श कर ऐसी व्यवस्था की जानी होगी कि विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रभावित न होने पावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने का कष्ट करें।

संख्या–432(1)/29–6–2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(जवाहर लाल),
अनु सचिव